रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022026-269822
CG-DL-E-04022026-269822

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2026/माघ 15, 1947
No. 99]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2026/MAGHA 15, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 104(अ).—विस्फोटक अधिनियम,1884 (1884 का 4) की धारा 5 तथा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012में संशोधन करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित नियमों के प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार, एतदद्वारा उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इन नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप पर, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस (30) दिनों के पश्चात विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के बारे में, यदि कोई आपत्तियां या सुझाव हों तो, निदेशक (विस्फोटक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कमरा नं. 252ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली– 110011 को या ईमेल expl-dipp@nic.in द्वारा ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं।

उक्त प्रारूप नियमों के बारे में, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2026 कहाजाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 21 में:-

(क)उप-नियम (1) में, "प्रेषक" शब्द के बाद "या परेषिती" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख)उप-नियम (1) में, "प्ररूप त-4 में विधिमान्य अनुज्ञप्ति के धारक" शब्दों के बाद निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

"इस शर्त के अध्यधीन कि— (क)यदि परिवहन वाहन परेषिती द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, तो अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन, परेषिती की परिवहन अनुज्ञप्ति के आधार पर किया जाएगा। (ख)यदि परिवहन वाहन प्रेषक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, तो अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन प्रेषक की परिवहन अनुज्ञप्ति के आधार पर किया जाएगा।"

(ग) उप-नियम (6) में, "प्रेषक" शब्द के बाद तथा "सुपुर्दगी सुनिश्चित करेगा" शब्दों से पूर्व, "या परेषिती" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 38 के उप-नियम (ङ) में, "पदाधिकारी" शब्द के बाद "या अधिभोगी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. पी-13012/2/2021-विस्फोटक]

जय प्रकाश शिवहरे, संयुक्त सचिव

नोट-मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारणमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 553 (अ), तारीख 11 जुलाई, 2012 में प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 469(अ) तारीख 9 जुलाई, 2013, सा.का.नि. 938(अ) तारीख 27 सितंबर, 2018,सा.का.नि. 608(अ) तारीख 31 अगस्त, 2021,सा.का.नि.239 (अ) तारीख 17 अप्रैल, 2025 और सा.का.नि. 377 (अ) तारीख 9 जून, 2025 द्वारा इनमें पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2026

G.S.R. 104(E).—The draft of the following rules to amend the Ammonium Nitrate Rules 2012, which Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty (30s) days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions if any, to these draft rules may be sent to Director (Explosives), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 252 A, Udyog Bhawan, New Delhi –110011 or Email: expl-dipp@nic.in; within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period above so specified will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Ammonium Nitrate (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Ammonium Nitrate Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 21: -

(A) in sub-rule (1), after word "Consignors", the words “or Consignee” shall be inserted.

(B) in sub-rule (1), after words “holding valid licence in Form P-4” the following clauses shall be inserted, namely: -

“subject to (a) if transport vehicle is provided by the consignee, the Ammonium Nitrate should be transported on the strength of transport licence of consignee. (b) if transport vehicle is provided by the consignor, the Ammonium Nitrate should be transported on the strength of transport licence of consignor.”

(C) in sub-rule (6) after word "Consignor" and before the words "shall ensure delivery", the words "or Consignee", shall be Inserted.

3. In the said rules, in rule 38, in sub-rule (e) after word "office-bearers", the words “or occupier” shall be inserted.

[F. No. P-13012/2/2021-EXPLOSIVE]

JAI PRAKASH SHIVAHARE, Jt. Secy.

Note : The principle rules were published in Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R. 553(E) dated the 11th July, 2012 and subsequently amended vide notification number G.S.R 469(E) dated 9th July 2013, G.S.R. 938(E) dated 27th September, 2018, G.S.R. 608(E), dated 31st August, 2021, G.S.R. 239(E) dated 17th April, 2025 and G.S.R. 377(E) dated 9th June, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.